पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2021

प्रेक्षकों के लिए निर्देश

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश
पी0सी0एफ0 भवन, 32—स्टेशन रोड, लखनऊ।

1. सामान्य –

पंचायतों एवं नगरीय निकायों को सुदृढ़, सक्षम एवं सक्रिय बनाने के उद्देश्य से भारत के संविधान में क्रमशः 73वें, 74वें संशोधनों के माध्यम से भाग 9–क जोड़ा गया है। संविधान के उपर्युक्त संशोधित उपबन्धों के अनुसार क्रमशः उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 एवं उत्तर प्रदेश नगरीय स्वायत्त शासन (संशोधन) अधिनियम, 1994 पारित किया गया जिसके अनुसार इन संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष है और उस कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही उनका निर्वाचन कराया जाना संवैधानिक बाध्यता है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार पंचायतों व नगरीय निकायों के निर्वाचन कराने का दायित्व क्रमशः अनुच्छेद 243–ट व 243–यक के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है। इन निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण का पूर्ण संवैधानिक दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है। इस प्रकार पंचायतों एवं नगरीय निकायों के स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से निर्वाचन सम्पन्न कराने का भार राज्य निर्वाचन आयोग पर है। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन सम्पन्न कराने में राज्य निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के रूप में प्रेक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

पंचायतों के सामान्य निर्वाचन, 2021 में मतदान चार चरण में जनपदवार होने हैं। तत्पश्चात् मतगणना का कार्य प्रारम्भ होगा। मतदान व मतगणना के कार्यों के सम्यक पर्यवेक्षण के लिए प्रेक्षकों की नियुक्ति सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है।

2. प्रेक्षकों की भूमिका –

पंचायतों के निर्वाचन हेतु भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं उ0प्र0 सिविल (कार्यकारी शाखा) सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों की प्रेक्षक के रूप में नियुक्ति की जाती है। उनकी वरिष्ठता व प्रशासनिक सेवा के दीर्घ अनुभवों के आधार पर यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रेक्षक के रूप में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने में आयोग के आँख व कान बनकर कार्य करेंगे। प्रेक्षकगण अपने–अपने सम्बन्धित जनपद में निर्वाचन प्रबन्ध तंत्र, शान्ति व्यवस्था पर पैनी निगाह रखेंगे व निर्वाचन से सम्बन्धित सुसंगत अधिनियमों, नियमावलियों के प्रावधानों, निर्वाचन प्रणाली तथा आयोग के निर्देशों का कड़ाई और निष्पक्षता से पालन कराते हुए अपने प्रेक्षकीय दायित्व का निर्वहन करेंगे एवं तत्सम्बन्धी सूचनाओं को निर्धारित प्ररूप पर आयोग को उपलब्ध कराएंगे।

3. कार्य विवरण –

पंचायतों के सामान्य निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात् आयोग मतदान एवं मतगणना हेतु प्रेक्षकों की तैनाती करेगा एवं तैनात किए गए प्रेक्षकों को उन्हें आवंटित जनपद तथा ड्यूटी के सम्बन्ध में आयोग के निर्देश उपलब्ध कराये जाएंगे। उन्हें परिशिष्ट–'क' के अनुसार निर्देश पुस्तिकाएं आदि उपलब्ध कराई जाएगी। परिशिष्ट–'ख' के अनुसार निर्वाचन अधिसूचना की प्रति, आयोग को प्रेषित की जाने वाली रिपोर्ट एवं चेकलिस्ट का प्ररूप एवं ड्यूटी पूर्ण करने की रिपोर्ट का प्ररूप आदि उपलब्ध कराया जाएगा। परिशिष्ट–'ग' के अनुसार स्टेशनरी की किट उपलब्ध कराई जाएगी।

4. अवकाश –

(1) किसी भी प्रेक्षक एवं आरक्षित प्रेक्षक को निर्वाचन के दौरान आयोग की पूर्व अनुमति के बिना कोई अवकाश देय नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में ही आयोग से इस सम्बन्ध में पत्र व्यवहार किया जा सकता है।

(2) यदि कोई प्रेक्षक अपने व्यक्तिगत कार्य या निर्वाचन से इतर शासकीय कार्य से मुख्यालय छोड़ना चाहता है तो उसे आयोग से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।

5. सुविधाएं –

(1) सुरक्षा

(क) एक सब इंस्पेक्टर पिस्टल/रिवाल्वर सहित।

(ख) एक सशस्त्र हेड कांस्टेबिल तथा चार सशस्त्र सिपाही।

(ग) प्रत्येक प्रेक्षक को एक अच्छी हालत में कार उपलब्ध कराई जाए और उसके साथ उनकी सुरक्षा में लगे कर्मचारियों के लिए एक अच्छी हालत में वाहन भी उपलब्ध कराया जाए।

(2) इण्टरनेट कनेक्टिविटी सहित एक कम्प्यूटर तथा एक कम्प्यूटर ऑपरेटर।

(3) एक वीडियोग्राफर जो उनके प्रवास के दौरान प्रत्येक दिवस उनके साथ रहेगा।

(4) जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस/गेस्ट हाउस का वी0आई0पी0 सूट प्रेक्षक के प्रवास के दौरान उनके नाम आरक्षित रहेगा।

(5) सुरक्षा की दृष्टि से एक हेलमेट तथा बॉडी प्रोटेक्टर।

6. निर्वाचन ड्यूटी सम्बन्धी विवरण –

(क) सभी प्रेक्षक जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए गए हैं उनका भ्रमण कार्यक्रम तैयार करेंगे तथा उसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे ताकि उनके आगमन पर समुचित सुरक्षा व्यवस्था व प्रवास का प्रबन्ध कर सकें एवं उनके भ्रमण कार्यक्रम को प्रसारित कर सकें। यदि किसी प्रेक्षक के पास मोबाइल है और उसका प्रयोग निर्वाचन सम्बन्धी कार्य में किया गया है तो मतगणना के समय यह प्रमाणपत्र प्राप्त करके कि प्रेक्षक द्वारा पंचायतों के सामान्य निर्वाचन, 2021 में प्रेक्षक के दायित्वों के निर्वहन हेतु व्यक्तिगत मोबाइल फोन प्रयोग में लाया गया है, प्रत्येक प्रेक्षक को रू0 500/– का नगद भुगतान जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। उक्त व्यय आयोग द्वारा जिलों के लिए निर्धारित मानक मद 'प्रेक्षक पर व्यय' के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से किया जाएगा। प्रेक्षकों द्वारा अपना मोबाइल नम्बर आयोग को भी सूचित किया जाएगा।

(ख) कोई भी प्रेक्षक जब वह निर्वाचन ड्यूटी पर होगा तो अपने साथ परिवार को नहीं ले जाएगा।

(ग) ऐसे प्रेक्षक जिन्हें रिजर्व ड्यूटी में रखा गया है वे अपने तैनाती के मुख्यालय पर ही रहेंगे।

(घ) प्रेक्षकों को आवंटित जनपद में मतदान दिवस के 03 दिन पूर्व अपराह्न 5.00 बजे तक अनिवार्य रूप से पहुँचना है। जनपद मुख्यालय पर पहुँच कर प्रेक्षक निर्धारित प्ररूप–1 पर अपनी उपस्थिति की सूचना आयोग को देंगे। जिस चरण का मतदान होना है, उससे सम्बन्धित पंचायतों के अन्तर्गत निम्न सूचनाएं सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेक्षक को देंगे :–

(i) मतदान केन्द्रों, मतदान स्थलों तथा मतदान स्थलों से सम्बद्ध मतदाताओं की संख्या का विवरण,

(ii) रूट चार्ट,

(iii) निर्वाचन अधिकारियों/सहायक निर्वाचन अधिकारियों की सूची,

(iv) सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेटों तथा उनके मुख्यालयों की सूची,

(v) निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत आने वाले थानों तथा उनके टेलीफोन नम्बर की सूची,

(vi) संवेदनशील, अति संवेदनशील+ (plus) मतदान केन्द्रों की सूची

(vii) पंचायतों के पदों के आरक्षण तथा उनके प्रतीक आवंटन के पश्चात् चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अन्तिम सूची।

(ङ) जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान स्थलों का अन्तिम रैण्डमाइजेशन पोलिंग पार्टी के रवाना होने के एक दिन पूर्व प्रेक्षक की उपस्थिति में किया जाएगा और तत्पश्चात् मतदान दलों को यह अवगत कराया जाएगा कि उनकी ड्यूटी किस मतदान स्थल पर है।

(च) प्रेक्षक मतदान स्थल पर मतदान हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्था, मतदान केन्द्र पर समुचित पुलिस बल तथा मतदान शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष कराने हेतु सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती आदि समस्त व्यवस्था को विशेष रूप से देखेंगे। इसके साथ ही वे इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि क्या मतदान की समाप्ति के समय से 48 घण्टे पूर्व प्रचार को रोक दिया गया है तथा क्या मतदान दिवस में मतदान समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घण्टे पूर्व से विकास खण्ड क्षेत्र की सीमा से 08 किमी0 दूरी तक तथा मतगणना दिवस को शराब की दुकानें बन्द कराए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

(छ) मतदान कार्मिकों से उनके मतदान कराने की प्रक्रिया एवं सुसंगत प्रावधानों की जानकारी एवं समझ को भी परखेंगे जैसे पीठासीन अधिकारी की डायरी भरे जाने का ढंग, अमिट स्याही का प्रयोग, निविदत्त मत की प्रक्रिया आदि और उन्हें नियमानुसार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान कराने हेतु आवश्यक निर्देश भी दे सकते हैं।

(ज) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निर्बल वर्ग के मतदाताओं के क्षेत्र में भ्रमण कर एवं उनसे वार्ता कर यह पता करेंगे कि पूर्व के सामान्य निर्वाचन में उनके क्षेत्रों में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया में अवांछनीय तत्वों द्वारा बाधा पहुँचाने अथवा मतदाताओं को प्रभावित करने का कोई प्रयास तो नहीं किया गया था और यदि ऐसा है तो तद्नुसार जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी एवं वरिष्ठ

पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु कहेंगे।

(झ) प्रेक्षक जो भी रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे वे अति गोपनीय होंगी तथा प्रेक्षक किसी को भी उन्हें संसूचित नहीं करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी की मतदान तैयारियों की पूर्ण समीक्षा के उपरान्त प्रेक्षक द्वारा जनपद मुख्यालय पर पहुँचने के अगले दिन रिपोर्ट **चेक लिस्ट संख्या–1** पर भेजी जाएगी।

7. शान्ति व्यवस्था तथा सुरक्षा प्रबन्धों की समीक्षा –

प्रेक्षक आवंटित जनपद में जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक से विचार विमर्श करके सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र की शान्ति व्यवस्था एवं सुरक्षात्मक प्रबन्धों का जायजा लेंगे और यदि कहीं उस व्यवस्था या प्रबन्ध में किसी सुधार की आवश्यकता समझते हैं तो तद्नुसार उन्हें सुझाव भी देंगे। मतदान दलों का मतदान स्थलों के लिए रवाना होने के पश्चात् प्रेक्षक मतदान स्थलों का भ्रमण करके यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान हेतु समुचित प्रबन्ध एवं व्यवस्था हो गई है।

मतदान केन्द्रों/स्थलों की व्यवस्था का जायजा लेने में विशेष रूप से यह देखा जाएगा व सुनिश्चित किया जाएगा कि समस्त मतदान सामग्री तथा सम्बन्धित मतदान स्थल की निर्वाचक नामावली, अभीष्ट संख्या में मतपत्र तथा मतदान कर्मी उपलब्ध हैं। आयोग के निर्देशानुसार मतदान कक्ष को तैयार किया गया है। इन सबके बारे में प्रेक्षक **प्ररूप–2** में सूचना आयोग को उपलब्ध कराएंगे।

8. मतदान दिवस –

मतदान दिवस के दिन प्रेक्षक अपने निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर जिला मजिस्ट्रेट एवं जोनल मजिस्ट्रेटों/सेक्टर मजिस्ट्रेटों से समय–समय पर मतदान के शान्तिपूर्ण सम्पन्न होने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करते रहेंगे तथा मतदान समाप्त होने पर मतदान सकुशल सम्पन्न होने तथा मतदान प्रतिशत की रिपोर्ट अनिवार्यतः आयोग को निर्धारित प्ररूप–3 पर भेजी जाएगी। यदि किसी मतदान स्थल पर शान्ति व्यवस्था भंग होने या किसी दुर्घटना के कारण मतपत्र

नष्ट हो गया हो या उनसे छेड़खानी की गई हो या मतपेटिका अवैधानिक कब्जे में कर ली गई हो या उसे अवैध रूप से लेकर कोई भाग गया हो, जिससे उस मतदान स्थल का परिणाम प्रभावित हो सकता है तो प्रेक्षक को मतदान रोक देने का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में घटना के पूर्ण विवरण के साथ सूचना अविलम्ब राज्य निर्वाचन आयोग को भेजनी होगी। यदि किसी मतदान स्थल पर पुनर्मतदान की आवश्यकता होती है तो उसके सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रेक्षक के माध्यम से आयोग को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान की जानकारी प्राप्त करने हेतु मतदान दिवस को प्रेक्षक मतदान स्थल के अन्दर जा सकेंगे। मतदान स्थलों से मतदान दलों की वापसी, मतपेटियों को स्ट्राँग रूम में जमा होने व सील करने के पश्चात् प्रेक्षक आयोग को निर्धारित **प्ररूप–4** पर सूचना देंगे और उसके बाद ही जनपद मुख्यालय छोड़ेंगे। यदि कहीं पुनर्मतदान होता है तो पुनर्मतदान की समाप्ति तथा मतपेटिकाओं के स्ट्राँग रूम में जमा होने और उसको सील किए जाने के बाद ही जनपद मुख्यालय छोड़ेंगे।

उसी प्रकार मतगणना हेतु तैनात प्रेक्षक गणना होने से दो दिन पूर्व सायंकाल तक अथवा आयोग द्वारा जैसा आदेश दिया जाए आवंटित जनपद में पहुँच जाएंगे तथा मतगणना समाप्ति एवं परिणाम घोषित होने के बाद आयोग को सूचित करते हुए आवंटित जनपद से प्रस्थान कर सकेंगे।

9. महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी देना –

मतदान दिवस में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं जिनके कारण मतदान में व्यवधान उत्पन्न हो गया हो या मतदान स्थगित कर दिया गया हो, उनका संज्ञान प्रेक्षक लेंगे और तत्सम्बन्धी रिपोर्ट आयोग को तत्काल प्रेषित करेंगे (**चेक लिस्ट संख्या–2**)

यदि किसी मतदान स्थल/मतगणना स्थल पर कब्जा कर लेने या किसी मतपत्र या मतपत्रों/मतपेटिका को पीठासीन अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी के कब्जे से अवैधानिक ढंग से लिया गया हो या मतपत्रों को दुर्घटनावश/जानबूझकर नष्ट कर दिया गया हो या उन्हें क्षति पहुँचाई गई हो या उनसे छेड़खानी की गई हो जिससे उस मतदान स्थल का परिणाम प्रभावित हो रहा

हो या मतपेटिका से सम्बन्धित मतदान स्थल का चिन्हींकरण नहीं हो पा रहा है तो प्रेक्षक अविलम्ब आयोग को सूचित करेंगे ताकि आयोग उस पर विचार करने के बाद आगे की कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्णय ले सकें।

10. मतगणना प्रेक्षक –

मतगणना करने हेतु नियुक्त प्रेक्षक निर्धारित तिथि से दो दिन पूर्व सायंकाल तक अथवा आयोग द्वारा जैसा आदेश दिया जाए, जनपद मुख्यालय पहुँचेंगे तथा अपनी उपस्थिति की सूचना आयोग द्वारा निर्धारित **प्ररूप–5** पर आयोग को उपलब्ध करायेंगे। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के साथ वार्ता करके मतगणना केन्द्र पर शान्ति व्यवस्था एवं सुरक्षा प्रबन्धों की जानकारी लेंगे। जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी मतगणना केन्द्रों की तैयारी के सम्बन्ध में आयोग के निर्देशानुसार संक्षिप्त नोट प्रेक्षक को प्रस्तुत करेंगे। प्रेक्षक उक्त संक्षिप्त नोट एवं उनके द्वारा एक दिन पूर्व किए गए मतगणना स्थलों के भ्रमण की रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराएंगे। मतगणना में अनुमानतः 01 दिन लगने की संभावना है। इसलिए प्रेक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवंटित जनपद के मतगणना स्थल एवं स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि मतगणना का कार्य सुचारू एवं निर्बाध रूप से चल रहा है। प्रेक्षकों को अनिवार्य रूप से मतगणना के सम्बन्ध में रिपोर्ट मतगणना प्रारम्भ होने पर **प्ररूप–6** एवं मतगणना समाप्त होने पर **प्ररूप–7** पर प्रेषित करनी होगी। प्रेक्षक मतगणना के दौरान **प्ररूप–6** तथा मतगणना समाप्ति पर **प्ररूप–7** एवं **चेकलिस्ट संख्या–3** पर अपनी रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध करायेंगे जिसमें रिपोर्ट के समय तक कितने प्रतिशत परिणाम घोषित हो चुके हैं, का उल्लेख होगा।

आयोग द्वारा प्रारम्भ की गई तकनीकी सेवाओं से सम्बन्धित दिशा–निर्देश

10.1 प्रेक्षक जनपद में पहुँचने के उपरान्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से लगाई जाने वाली मतदान ड्यूटी के Third Randomization की आवश्यक रूप से जाँच कर यह सुनिश्चित कर लें कि निर्वाचन ड्यूटी नियमानुसार लगाई जा रही है।

10.2 जनपद द्वारा तैयार की गयी अनुपूरक मतदाता सूची के प्रकाशन को sample basis पर जाँच कर यह देख लें कि वे नियमानुसार तैयार की गयी हैं।

10.3 जनपद द्वारा चिन्हित किए गए अतिसंवेदनशील+(plus) मतदान केन्द्रों की जाँच इस आशय से कर लें कि वे सही प्रकार से चुने गए हैं। उन पर लगाये जाने वाले वीडियो कैमरे की व्यवस्था सुनिश्चित करा लें तथा मतदान के दिन प्रत्येक दशा में ऐसे सभी मतदान स्थलों पर सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग आवश्यक रूप से की जाये।

10.4 जनपद द्वारा नामांकन की प्रक्रिया के दौरान प्रतिदिन हुए नामांकन के संख्यात्मक ऑकड़ों को, जो आयोग के Online सॉफ्टवेयर में फीड किए जा रहे हैं, की जाँच प्राप्त नामांकन पत्रों की संख्या sample basis पर अवश्य कर लें।

10.5 मतदान के दिन मतदान की समाप्ति के उपरान्त जनपद द्वारा आयोग को प्रेषित की गयी ब्लाकवार पोलिंग प्रतिशत के आँकड़ों का शत–प्रतिशत मिलान कर लें।

10.6 परिणाम घोषित होने के उपरान्त जनपद द्वारा आयोग की वेबसाइट पर फीड किए गए परिणामों का sample basis पर वास्तविक परिणामों से जाँच कर लें।

10.7 प्रत्येक चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर पदवार निर्वाचन लड़ रहे उम्मीदवारों की संख्या प्रदर्शित की जाएगी जिससे उस क्षेत्र में आने वाले सभी मतदान केन्द्रों पर भेजे जाने वाले मतपत्र का निर्धारण किया जाता है, उन आँकड़ों को भी sample basis पर मिलान अवश्य कर लें।

10.8 प्रेक्षक द्वारा समय–समय पर प्रेषित की जाने वाली रिपोर्ट, जिनके प्ररूप प्रेक्षक निर्देश पुस्तिका में दिया गया है वे सभी प्ररूप आयोग की वेबसाइट पर "ADEO portal" Login Section" में उपलब्ध हैं जिसका पासवर्ड प्रेक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध कराया जाएगा। सभी प्रेक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे जनपद में पहुँचने के उपरान्त उक्त रिपोर्ट आयोग की वेबसाइट पर submit करें, जिससे आयोग द्वारा सभी जनपदों में हो रही प्रगति की monitoring की जा सके।

10.9 यदि किसी जनपद में अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण ऑनलाइन रिपोर्ट भेजना संभव न हो तो ऐसी परिस्थिति में प्रगति रिपोर्ट को फैक्स/ई–मेल के माध्यम से भी भेजा जा सकता है, जिसे आयोग स्तर पर सॉफ्टवेयर में

फीड करा दिया जाएगा, परन्तु यह उस दशा में किया जाये जब ऑनलाइन रिपोर्ट भेजना सम्भव न हो।

11. विशेष –

निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों तथा स्थानों/पदों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए प्रेक्षकों को विशेष ध्यान देना होगा कि मतगणना कार्य में कोई बाधा किसी स्तर से उत्पन्न न की जा सके। प्रेक्षक से यह भी अपेक्षा की जाती है कि मतगणना कार्य में की जा रही किसी बड़ी चूक अथवा त्रुटि का जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी से वार्ता करके तत्काल उसका निराकरण कराएंगे।

मतगणना की समाप्ति के उपरान्त आयोग को मतगणना की रिपोर्ट प्रेषित करने के पश्चात् ही प्रेक्षक जनपद मुख्यालय छोड़ सकेंगे।

परिशिष्ट–"क"

1. निर्वाचन निर्देश पुस्तिकाएं
   - (क) निर्वाचन अधिकारियों (रिटर्निंग आफिसर्स) एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर्स) के उपयोग हेतु निर्देश पुस्तिका–2020
   - (ख) पीठासीन अधिकारियों के उपयोग हेतु निर्देश पुस्तिका–2020
   - (ग) मतगणना अधिकारियों/कर्मचारियों के उपयोग हेतु निर्देश पुस्तिका–2020
2. आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता की प्रति।
3. निर्वाचन प्रतीक आवंटन प्रक्रिया सम्बन्धी आदेश।
4. उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994
5. उ0प्र0 पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994

परिशिष्ट–"ख"

1. सामान्य निर्वाचन की अधिसूचनाओं की प्रति।
2. मतदान केन्द्रों/स्थलों की सूची मतदाताओं सहित।
3. राज्य निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण टेलीफोन नम्बर/फैक्स नम्बरों एवं ई–मेल की सूची।
4. आवंटित जिले में मतदान के तीन दिन पूर्व पहुँचने की सूचना (प्रेक्षकों हेतु प्ररूप–1)
5. राज्य निर्वाचन आयोग को मतदान की तैयारी हेतु प्रेषित की जाने वाली सूचना की चेकलिस्ट (चेक लिस्ट संख्या–1)
6. मतदान दलों की रवानगी के दिन की सूचना (प्रेक्षकों हेतु प्ररूप–2)
7. मतदान के दिन प्रेषित की जाने वाली सूचना (प्रेक्षकों हेतु प्ररूप–3)
8. राज्य निर्वाचन आयोग को मतदान समाप्ति पर प्रेषित की जाने वाली सूचना की चेकलिस्ट (चेक लिस्ट संख्या–2)
9. मतदान के दिन मतदान सम्पन्न होने के पश्चात् सील्ड मतपेटियों के जमा हो जाने के उपरान्त प्रेषित की जाने वाली सूचना (प्रेक्षकों हेतु प्ररूप–4)
10. आवंटित जिले में मतगणना के लिये नियत तिथि से दो दिन पूर्व अथवा आयोग द्वारा जैसा आदेश दिया जाए, जनपद मुख्यालय पर पहुँचने की सूचना (प्रेक्षकों हेतु प्ररूप–5)
11. मतगणना के प्रारम्भ होने से समाप्ति तक प्रत्येक 4 घंटे के अंतराल पर व मतगणना के अंत में प्रेषित की जाने वाली सूचना (प्रेक्षकों हेतु प्ररूप–6)
12. राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित की जाने वाली मतगणना सम्बन्धी सूचना (प्रेक्षकों हेतु प्ररूप–7)

13. राज्य निर्वाचन आयोग को मतगणना की समाप्ति पर प्रेषित की जाने वाली सूचना की चेकलिस्ट (चेक लिस्ट संख्या–3)

परिशिष्ट–"ग"

1.	नोट बुक (160 पेज, साइज 21.6X114 Cm)	01 अदद
2.	नोट बुक (92 पेज, साइज 10.5 X 7.4 Cm)	02 अदद
3.	पेन (नीला / काला)	02 अदद
4.	हाइलाइटर	01 अदद
5.	स्टेपलर	01 अदद
6.	स्टेपलर पिन (HD 10D स्माल)	01 अदद
7.	ग्लू स्टिक (स्माल 8 ग्राम)	01 अदद
8.	पेपर क्लिप	01 अदद
9.	स्टेशनरी रखने हेतु उत्तम क्वालिटी का प्लास्टिक स्टेशनरी बॉक्स	01 अदद

प्रेक्षक रिपोर्ट

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–...........

(प्ररूप–1)

राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित की जाने वाली मतदान सम्बन्धी सूचना
(आवंटित जिले में मतदान के तीन दिन पूर्व पहुँचने पर)

प्रेक्षक का नाम व पद नाम ....

निर्वाचन का चरण .... जिले का नाम ....

क्र0 सं0	प्रेक्षक का नाम व पद नाम	निर्वाचन का चरण एवं जनपद का नाम	जनपद में पहुँचने की तिथि व समय	अवस्थान का नाम व दूरभाष नम्बर	राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमन्य सुविधाओं की जनपद स्तर पर उपलब्धता	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

दिनांक :..................................   हस्ताक्षर प्रेक्षक

प्रेक्षक रिपोर्ट

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–...........

चेक लिस्ट संख्या–1

राज्य निर्वाचन आयोग को मतदान की तैयारी हेतु प्रेषित की जाने वाली सूचना की चेकलिस्ट

(जनपद में पहुँचने के अगले दिन–जिलाधिकारी से प्राप्त सूचना के उपरान्त)

प्रेक्षक का नाम व पद नाम ....

निर्वाचन का चरण .... जिले का नाम ....

क्र. सं.	विषय	प्रेक्षक की आख्या
1.	क्या जिलाधिकारी द्वारा प्रेक्षक का नाम, उनके जनपद में रुकने का लोकल एड्रेस, दूरभाष/मोबाइल नम्बर तथा उम्मीदवारों/आम जनता से मिलने हेतु समय एवं स्थान की सूचना दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई है ?	
2.	क्या जिलाधिकारी द्वारा आदर्श आचार संहिता के अनुपालन एवं निर्वाचन व्यय के सम्बन्ध में सभी उम्मीदवारों को भली भाँति अवगत कराया गया है ?	
3.	क्या वार्डवार मतदान केन्द्रों/स्थलों की सूची जिलाधिकारी से प्राप्त कर ली गई है ?	
4.	क्या निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों तथा उनको आवंटित प्रतीकों की सूची पदवार/वार्डवार जिलाधिकारी से प्राप्त कर ली गई है ?	
5.	क्या मतदान स्थलों की संख्या के अनुसार (आरक्षित मतदान दल को सम्मिलित करते हुए) मतदान दलों का गठन कर लिया गया है ?	
6.	क्या मतदान दलों का सम्यक् प्रशिक्षण करा लिया गया है ?	
7.	क्या जिलाधिकारी द्वारा वांछित संख्या (4/5 प्रतियों) में पंचायतवार/वार्ड वार/मतदेय स्थल वार निर्वाचक नामावली की प्रतियाँ तैयार कर ली गई हैं ?	

8.	क्या मूल निर्वाचक नामावली के साथ वार्ड वार/ मतदेय स्थल वार पूरक सूचियाँ संलग्न कर ली गई हैं ?	
9.	क्या मतदान के लिए मतदाताओं की संख्या के अनुरूप मतपत्र प्राप्त हो गए है ?	
10.	क्या मतपत्रों की पैकेटिंग पद वार/मतदान स्थल वार कर ली गई हैं ?	
11.	क्या मतदान दल को निर्वाचन सामग्री के वितरण की व्यवस्था कर ली गई है ?	
12.	क्या मतदान दलों के लिए रूट चार्ट तैयार कर लिए गए हैं ?	
13.	क्या मतदान दलों की रवानगी हेतु मानकों के अनुसार मतदान दलों की संख्या के अनुरूप वाहनों का अधिग्रहण (जिला/तहसील मुख्यालय) पर कर लिया गया है ?	
14.	क्या मतदान दलों की सुरक्षा व्यवस्था का प्रबन्ध कर लिया गया है ?	
15.	क्या जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कर ली गई है ?	
16.	क्या संवेदनशील/अति संवेदनशील/अति संवेदनशील + (plus) मतदान केन्द्रों/स्थलों का चिह्नीकरण कर लिया गया है तथा सूची प्राप्त कर ली गई है ?	
17.	क्या संवेदनशील/अति संवेदनशील/अति संवेदनशील + (plus) मतदान केन्द्रों की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है तथा उसकी समीक्षा कर ली गई है ?	
18.	क्या कानून व्यवस्था हेतु शराब एवं अन्य मादक वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगा दी गई है ?	
19.	क्या अराजक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाहियाँ सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कर ली गई हैं ?	
20.	क्या मतदान दलों की वापसी पर सामग्री को प्राप्त किए जाने की समुचित व्यवस्था कर ली गई है ?	
21.	क्या स्ट्राँग रूम की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है ?	
22.	क्या गणना पर्यवेक्षकों/गणना सहायकों की नियुक्ति कर ली गई है ?	

दिनांक :..................................   हस्ताक्षर प्रेक्षक

प्रेक्षक रिपोर्ट

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–...........

(प्ररूप–2)

राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित की जाने वाली मतदान सम्बन्धी सूचना

(मतदान दलों की रवानगी के दिन)

प्रेक्षक का नाम व पद नाम ....

निर्वाचन का चरण .... जिले का नाम ....

क्र0 सं0	निर्वाचन का चरण तथा सम्मिलित क्षेत्र पंचायतों के नाम	मतदान केन्द्रों की संख्या	मतदान स्थलों की संख्या	मतदान दलों की संख्या	संवेदनशील मतदान केन्द्रों/मतदान स्थलों की संख्या	क्या संवेदनशील/अतिसंवेदनशील/अति संवेदनशील+ (plus) मतदान केन्द्रों/मतदान स्थलों पर आवश्यक पुलिस बल की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है? हाँ/नहीं	क्या मतदान स्थलों के लिए मतदान दलों की रवानगी पूर्ण कर उनके गंतव्य पर पहुँचने की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है? हाँ/नहीं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

दिनांक :...................................

हस्ताक्षर प्रेक्षक

प्रेक्षक रिपोर्ट

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–...........

(प्ररूप–3)

राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित की जाने वाली मतदान सम्बन्धी सूचना
(मतदान के दिन मतदान की समाप्ति पर सायं 5 बजे से 6 बजे के मध्य प्रेषित की जाने वाली सूचना)

प्रेक्षक का नाम व पद नाम ....

निर्वाचन का चरण ....   जिले का नाम ....

क्र0 सं0	सम्मिलित क्षेत्र पंचायतों के नाम	क्या सभी जोनल / सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा निर्वाचन अधिकारी से मतदान शान्तिपूर्ण समाप्त होने की सूचना प्राप्त हो गई है ? हाँ / नहीं	मतदान समाप्ति पर पंचायतवार मतदान प्रतिशत	मतदान की समाप्ति तक भ्रमण किए गए मतदान स्थलों में मतदान प्रक्रिया के सम्बन्ध में टिप्पणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

दिनांक :...................................   हस्ताक्षर प्रेक्षक

प्रेक्षक रिपोर्ट

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–..........

चेक लिस्ट संख्या–2

राज्य निर्वाचन आयोग को मतदान की समाप्ति पर प्रेषित की जाने वाली सूचना की चेकलिस्ट

प्रेक्षक का नाम व पद नाम ....

निर्वाचन का चरण .... जिले का नाम ....

क्र. सं.	विषय	प्रेक्षक की आख्या
1.	कुल मतदान स्थलों की संख्या	
2.	कुल मतदान स्थलों की संख्या, जहाँ एक ही इलेक्शन एजेण्ट/पोलिंग एजेण्ट उपस्थित था	
3.	कुल मतदान स्थलों की संख्या, जहाँ वीडियो कैमरे लगाए गए	
4.	मतदान के दिन निर्वाचन नियमों के उल्लंघन की शिकायत वाले मतदान स्थलों की संख्या	
5.	उन मतदान स्थलों की संख्या, जहाँ मतदान दो घण्टे से अधिक बाधित रहा या दो घण्टे देर से शुरु हुआ	
6.	मतदान स्थलों की संख्या, जहाँ बाधित मतदान प्रारम्भ नहीं हो पाया	
7.	मतदान स्थलों की संख्या, जहाँ प्रेक्षक की राय के अनुसार पुनर्मतदान की आवश्यकता है	
8.	क्या स्ट्राँग रूम के खुलने और बन्द होने के अंकन हेतु नियत प्ररूप पर लॉग बुक बनाई गई है ?	

दिनांक :.................................. हस्ताक्षर प्रेक्षक

प्रेक्षक रिपोर्ट

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–...........

(प्ररूप–4)

राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित की जाने वाली मतदान सम्बन्धी सूचना

(मतदान के दिन मतदान सम्पन्न होने के पश्चात् सीलड मतपेटियों के जमा हो जाने के उपरान्त प्रेषित की जाने वाली सूचना)

प्रेक्षक का नाम व पद नाम ....

निर्वाचन का चरण ....   जिले का नाम ....

क्र. सं.	सम्मिलित क्षेत्र/ग्राम पंचायतों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या	मतदान स्थलों की संख्या	आपात स्थिति में मतदान स्थगन के सम्बन्ध में मतदान स्थल/ सेक्टर/ पंचायत के नाम के साथ विवरण, यदि कोई हो	स्थगन का कारण	मतदान के उपरान्त सीलड मतपेटियाँ स्ट्राँग रूम में सुरक्षित जमा कराने के सम्बन्ध में विस्तृत टिप्पणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

दिनांक :....................................   हस्ताक्षर प्रेक्षक

प्रेक्षक रिपोर्ट

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–...........

(प्ररूप–5)

राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित की जाने वाली मतगणना सम्बन्धी सूचना

(आवंटित जिले में मतगणना के तिथि के दो दिन पूर्व जनपद मुख्यालय पर पहुँचने पर)

प्रेक्षक का नाम व पद नाम ....

निर्वाचन का चरण .... जिले का नाम ....

क्र. सं.	प्रेक्षक का नाम	सम्मिलित क्षेत्र पंचायतों की संख्या/मतगणना स्थलों के नाम	जनपद मुख्यालय पर पहुँचने की तिथि व समय	अवस्थान का नाम व दूरभाष नम्बर	राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमन्य सुविधाओं की जनपद स्तर पर उपलब्धता	मतगणना स्थल पर की गई सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में टिप्पणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

दिनांक :...................................

हस्ताक्षर प्रेक्षक

प्रेक्षक रिपोर्ट

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–...........

(प्ररूप–6)

राज्य निर्वाचन आयोग को मतगणना प्रारम्भ होने की सूचना

प्रेक्षक का नाम व पद नाम ....

निर्वाचन का चरण .... जिले का नाम ....

क्र0 सं0	सम्मिलित क्षेत्र पंचायतों / मतगणना स्थलों के नाम	मतदान स्थलों की संख्या	भ्रमण किए गए मतगणना स्थलों / क्षेत्र पंचायतों के नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

दिनांक :...................................

हस्ताक्षर प्रेक्षक

प्रेक्षक रिपोर्ट

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–...........

(प्ररूप–7)

राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित की जाने वाली मतगणना सम्बन्धी सूचना

(मतगणना की समाप्ति पर प्रेषित की जाने वाली रिपोर्ट)

प्रेक्षक का नाम व पद नाम ....

निर्वाचन का चरण .... जिले का नाम ....

क्र. सं.	सम्मिलित पंचायतों/ मतगणना स्थलों के नाम	पदों का विवरण		क्या मतगणना सभी मतदान स्थलों की सम्पन्न हो गई है हाँ/नहीं	कितने मतदान स्थलों की मतगणना सम्पन्न नहीं हो सकी	मतगणना सम्पन्न न होने के कारण	अभ्युक्ति
		क्षेत्र पंचायत वार स्थानों/ पदों की संख्या जिन पर मतदान हुआ	मतगणना की समाप्ति पर स्थान/ पदवार घोषित परिणामों का विवरण				
1	2	3	4	5	6	7	8

दिनांक :.................................. हस्ताक्षर प्रेक्षक

प्रेक्षक रिपोर्ट

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–...........

चेक लिस्ट संख्या–3

राज्य निर्वाचन आयोग को मतगणना की समाप्ति पर प्रेषित की जाने वाली सूचना की चेकलिस्ट

प्रेक्षक का नाम व पद नाम ....

निर्वाचन का चरण .... जिले का नाम ....

क्र0 सं0	विषय	प्रेक्षक की आख्या
1.	क्या मतगणना हेतु व्यवस्था आयोग के निर्देशों के अनुरूप की गई थी ?	
2.	क्या मतगणना कार्मिक प्रॉपर मिक्सिंग एवं रैण्डमाइजेशन से लगाए गए थे ?	
3.	पंचायतवार गणना टेबुलों की संख्या	
4.	प्रेक्षक द्वारा कितने मतदान स्थलों के मतगणना की रैण्डम चेकिंग की गई ?	
5.	क्या मतगणना प्रक्रिया की निरन्तर वीडियोग्राफी कराई गई ?	
6.	क्या मतगणना के दौरान कोई महत्वपूर्ण घटना हुई ? यदि हां तो उसका विवरण	

दिनांक :...................................

हस्ताक्षर प्रेक्षक

पी0एस0यू0पी0–83 त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–24.12.2020–500 प्रतियां (डी0टी0पी0 / आफसेट)।